

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

मुदीरत

बनाम

गंगाधर आदि

दावा बाबत :- 88 R.A.S.

मुकदमा नम्बर :- 50/2021

निर्णय दिनांक :- 08-10-2021

वादी की ओर से वकील मुदीरत जोखानी की व प्रतिवादी सं० की ओर से वकील उदय मील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08-10-2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रौही भोजा - चक 12 ए.एम.एस. के खाला सं० 15/12 के मु.नं. 53 किला नं. 20, 21, मु.नं. 54 किला नं. 1, 2, 9 ता 2 19 ता 22 कुल 3-036 हे० नहरी व रौही - चक 8 जेजा उदय के खाला सं० 33/35 के मु.नं. 10 किला नं. 2, 3, 7, 8 की 1-012 हे० नहरी व रौही - चक 16 ए.एम.एस. के खाला सं० 32/33 के मु.नं. 51 के किला नं. 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 18 कुल 3-289 हे० वारानी व रौही - चक 14 ए.एम.एस. के खाला सं० 24/24 के मु.नं. 43 के किला नं. 7 ता 9 12 ता 14, 17 ता 23 कुल 3-289 हे० नहरी खालेदारी में प्रतिवादी सं० के नाम 1/2 हिस्सा खालेदारी व जे.एम.एस. प्रतिवादी सं० का नाम कुलमजबूत किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 का नहिस्सा बराबर के खालेदार न्यायालय वासित किया जाते हैं - यु.के.प्रतिवादी सं० 1 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में लागू कर मु.नं. कर लिया है इसलिए लयाग किने गये हिस्से पर पंजीगन किया जाये और पंजीगन मुक्त एवं खाम्प उयुती अदा करने व रद्द हो तो रद्द मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिवाउ अमल लागू किया जाये राजीनामा खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़